राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या–70 (लो0सू0अ0)/2022–23

श्री राधा मोहन राय, पुराना सदर अस्पताल रोड (जॉच घर के बगल में), बक्सर, बिहार–802101

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
16.12.2022	श्री राधा मोहन राय, पुराना सदर अस्पताल रोड (जॉच घर के बगल में), बक्सर, बिहार–802101 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–07.12.2022 इस कार्यालय में दिनांक–15.12.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 802861 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता श्री राधा मोहन राय ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–14.11.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना से असंतुष्ट होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–14.11.2022 की प्रति संलग्न की है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–14.11.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–30.12.2022 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 16/12/2022 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या–70 / 2022–23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
30.12.2022	दिनांक–16.12.2022 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी श्री राधा मोहन राय, पुराना सदर अस्पताल रोड (जॉच घर के बगल में), बक्सर, बिहार–802101 से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत समर्पित प्रपत्र 'क' दिनांक–14.11.2022 को दिनांक–22.11.2022 को इस सचिवालय में पंजीकृत किया गया है। विदित हो कि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रपत्र 'क' दिनांक–14.11.2022 से निम्नांकित सूचना की मॉग की हैः– *''राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–3691 दिनांक–01.11.2005 द्वारा राधा मोहन राय द्वारा दाखिल अपील को सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण एवं देशी चिकित्सा विभाग को भेजा गया था, उसमें सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण एवं देशी चिकित्सा विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा लिये गये न्याय निर्णय के प्रति को अभिप्रमाणित कर उपलब्ध करावें।'* उपर्युक्त प्रपत्र 'क' के आलोक में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा निम्नांकित निर्णय अपने प्रत्रांक–213 दिनांक–30.11.2022 द्वारा प्रेषित किया गया हैः– *''सूचनीय है कि '' अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियंत्रण में है। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकार द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधानन करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं हैं।* *सूचनीय है कि आवेदक श्री राधा मोहन राय पुराना सदर अस्पताल रोड (जॉच घर के बगल में), बक्सर, बिहार–802101 द्वारा समर्पित परिवाद पत्र दिनांक–01.11.2005, जो सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कलयाण एवं देशी चिकित्सा विभाग को भेजा गया है, यह विषय राज्यपाल सचिवालय, पटना से संबंधित नहीं है। कृपया संबंधित विभाग से सम्पर्क कर सूचना प्राप्त की जा सकती है।'* उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी श्री राय सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण विभाग एवं देशी चिकित्सा विभाग, बिहार द्वारा लिए गए न्याय निर्णय की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करना चाहते है। उपर्युक्त निर्णय स्वास्थ्य विभाग में संधारित होगा। अतः लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा लिए गए निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार सभी संबंधित को सूचित करें। 30/12/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	